


27-4-18


आज यह प्रार्थना पत्र वकील प्रार्थी ने मूलवाद के साथ पेश किया है। वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई।

वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज, शपथ पत्र एवं बहस एकपक्षीय वकील प्रार्थीगण पर गौर करने से प्रथम दृष्टया में केस व सुविधा का सन्तुलन एवं नापूर्ति होने वाली क्षति प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होती है। अतः अप्रार्थीगण को आगामी तिथि 01.05.2018 तक जर्ये एकपक्षीय अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वो विवादित आराजी ख0 नं0 1080 रकबा 0.25 हैक्ट0 वाके ग्राम गढी तहसील रामगढ जिला अलवर में प्रार्थी के उपयोग व उपभोग में बाधा उत्पन्न नही करे, किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य नही करें एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजि0 हो। अप्रार्थीगण को जर्ये रजि0 ए0डी0 तलबी से तलब कर दिनांक 01.05.2018 को पेश हो।


उपखण्ड अधिकारी
रामगढ (अलवर) राज

शोकर/चाहर
2/46/18

1-5-18 आज प्रार्थी "मूलवाद के साथ पेश किया है" बहस करी प्रार्थीगण पर गौर करने से प्रथम दृष्टया में केस व सुविधा का सन्तुलन एवं नापूर्ति होने वाली क्षति प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होती है। अतः अप्रार्थीगण को आगामी तिथि 01.05.2018 तक जर्ये एकपक्षीय अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वो विवादित आराजी ख0 नं0 1080 रकबा 0.25 हैक्ट0 वाके ग्राम गढी तहसील रामगढ जिला अलवर में प्रार्थी के उपयोग व उपभोग में बाधा उत्पन्न नही करे, किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य नही करें एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजि0 हो। अप्रार्थीगण को जर्ये रजि0 ए0डी0 तलबी से तलब कर दिनांक 01.05.2018 को पेश हो।


उपखण्ड अधिकारी
रामगढ (अलवर)